इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023–पौष 30, शक 1944

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. 160–मप्रविनिआ–2023.– विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 61(ज), 86(1)(ड.) सहपठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 [आरजी–33(II), वर्ष 2021] जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षकतथा प्रांरभः**

1.1 ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय)स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021{एआरजी–33(II)(i), वर्ष 2023}**"कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :**

2.1 **मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (दस) के पश्चात् एक नवीन खण्ड अर्थात्, खण्ड (दस)(क) स्थापितकिया जाए :–**

"(दस)(क) **'इकाई'** से अभिप्रेत है आबन्धित (केप्टिव) उपभोक्ताओं को छोड़कर कोई उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग अथवा स्वीकृत भार 100 किलोवाट से अधिक है :

परन्तु यह कि आबद्ध (कैप्टिव) उपभोक्ताओं के प्रकरण में किसी प्रकार की भार सीमाबद्धता नहीं होगी ;"

2.2 **मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात्, खण्ड (ग्यारह)(क) स्थापित किया जाए :**

"(ग्यारह)(क) **'हरित ऊर्जा(ग्रीन एनर्जी)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत अथवा संचायक (स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा

(स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो) या कोई अन्य प्रौद्योगिकी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए तथा इसमें सम्मिलित होगी कोई भी क्रियाविधि जिसके अन्तर्गत जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने हेतु हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो, हरित हायड्रोजन (ग्रीन हायड्रोजन) अथवा हरित अमोनिया के उत्पादन अथवा अन्य कोई स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ;"

2.3 मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (तेरह) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

"**(तेरह) 'आबन्धित इकाई'** से अभिप्रेत है इकाईयां जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (ङ) के अधीन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध के परिपालन हेतु अधिदेशित की गई हों जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ता तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता सम्मिलित हैं ;"

2.4 मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (सोलह) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

"**(सोलह) 'नवीकरणीय ऊर्जा आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र'** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत के उत्पादन हेतु स्थापित किया गया नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्र तथा इसमें सम्मिलित है विद्युत उत्पादन हेतु किसी सहकारी समिति अथवा संस्था द्वारा स्थापित किया गया विद्युत उत्पादन संयन्त्र, प्राथमिक तौर पर ऐसी सहकारी समिति अथवा संस्था द्वारा इसके सदस्यों के उपयोग हेतु तथा जो समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम 2005 के नियम 3(1)(क) तथा 3(1)(ख) में अन्तर्विदष्ट शर्तों की तुष्टि करता हो;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.1 के स्थान पर निम्न विनियम 3.1 स्थापित किया जाए:

3.1 समस्त आबन्धित इकाईयों द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के विद्युत उत्पादकों से विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्ति की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नानुसार होगी :–

वित्तीय वर्ष	पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)	जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)	अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO)	नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध का योग (Total RPO)
2022–23	0.81%	0.35%	23.44%	24.60%
2023–24	1.60%	0.66%	25.13%	26.89%
2024–25	2.46%	1.08%	25.63%	29.17%
2025–26	3.36%	1.48%	26.13%	30.97%
2026–27	4.29%	1.80%	26.63%	32.72%
2027–28	5.23%	2.15%	27.13%	34.51%
2028–29	6.16%	2.51%	27.63%	36.30%
2029–30	6.94%	2.82%	28.13%	37.89%

(क) **पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)** की पूर्ति दिनांक 31 मार्च 2022 के पश्चात् क्रियाशील की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (WPPs) से उत्पादित ऊर्जा से तथा 7 प्रतिशत से अधिक अधिप्राप्त की जाने वाली पवन विद्युत 31 मार्च 2022 तक क्रियाशील की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं से की जाएगी।

(ख) **जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)** की पूर्ति केवल दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात् क्रियाशील की गई जल विद्युत परियोजनाओं {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) को सम्मिलित करते हुए} से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा से की जाएगी।

(ग) अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO) की पूर्ति अन्य किसी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना जिसका उल्लेख उपरोक्त (क) और (ख) में नहीं किया गया है, से उत्पादित ऊर्जा से की जा सकेगी।

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 से आगे समस्त जल विद्युत परियोजनाओं (HPPs) से प्राप्त की गई ऊर्जा को नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) का भाग माना जाएगा।

3.1.2 नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की संगणना ऊर्जा के रूप में अधिप्राप्त की गई कुल विद्युत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

3.1.3 जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्वों का निर्वहन दिनांक 8 मार्च 2019 को तथा तत्पश्चात् 31 मार्च 2030 तक क्रियाशील पात्र जल विद्युत परियोजनाओं {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs)

लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए} से अधिप्राप्त विद्युत से किया जाएगा।

3.1.4 यदि विद्युत की खपत राज्य/विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के भीतर की जाती है तो राज्य/विद्युत वितरण कम्पनियों के जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्व का निर्वहन दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात् किसी भी समय राज्य को प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं से (उद्वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए) के माध्यम से अनुबन्ध के अनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के प्रति अंशदान को छोड़कर, किया जा सकेगा। निःशुल्क विद्युत (उसे छोड़कर जिसका अंशदान स्थानीय विकास हेतु किया जाता है) को जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रलाभ की पात्रता होगी।

3.1.5 जहां जल विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु उपरोक्त उल्लेखित निःशुल्क विद्युत की मात्रा अपर्याप्त हो वहां राज्य शासन को जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु अतिरिक्त जल विद्युत का क्रय या फिर जल विद्युत से तत्संबंधी राशि के समकक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र का क्रय करना होगा।

3.1.6 जल विद्युत क्रय आबन्ध संबंधी दायित्व के अनुपालन को सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विकसित की जाने वाली जल विद्युत से तत्संबंधी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र क्रियाविधि जल विद्युत क्रय आबन्ध के अनुपालन हेतु लागू होगी।

3.1.7 जल विद्युत परियोजनाओं की पुनरीक्षित क्रियाशील किये जाने संबंधी अनुसूची पर निर्भर उपरोक्त जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। तद्नन्तर, वर्ष 2030–31 तथा वर्ष 2039–40 के मध्य की अवधि हेतु जल विद्युत क्रय आबन्ध प्रक्षेप वक्र (ट्रेजेक्टरी) को अधिसूचित किया जाएगा।

3.1.8 जल विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु भारत विदेशों से आयात की गई जल विद्युत पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.9 किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान 'अन्य नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Other RPO)' श्रेणी की प्राप्ति हेतु अवशेष किसी कमी की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात् उक्त वर्ष हेतु

वैकल्पिक रूप से 'पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Wind RPO)' के पश्चात् क्रियाशील की गई पवन विद्युत परियोजनाओं (WPPs) से की गई खपत तथा 7 प्रतिशत अधिक अधिप्राप्ति की गई पवन ऊर्जा से या फिर दिनांक 8 मार्च 2019 के पश्चात्, 'जल विद्युत क्रय आबन्ध' से परे क्रियाशील की गई पात्र जल विद्युत परियोजनाओं से {उद्‌वहन संग्रहण परियोजनाओं (PSPs) तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं (SHPs) को सम्मिलित करते हुए} उपभोग की गई आधिक्य ऊर्जा द्वारा या फिर आंशिक रूप से दोनों के माध्यम से की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, किसी विशिष्ट वर्ष में 'पवन नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (विंड आरपीओ)' की प्राप्ति हेतु किसी कमी की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से उपभोग की गई आधिक्य ऊर्जा के माध्यम से जो उक्त वर्ष हेतु 'जल विद्युत क्रय आबन्ध (HPO)' से अधिक हो, की जा सकेगी तथा यह प्रक्रिया विलोमतः भी लागू होगी।

3.1.10 कुल उपभोग की गई ऊर्जा का निम्नांकित प्रतिशत संग्रहण के साथ/माध्यम से सौर/पवन ऊर्जा का होगा :

वित्तीय वर्ष	संग्रहण (ऊर्जा के आधार पर)
2023–24	निरंक
2024–25	निरंक
2025–26	1.0%
2026–27	1.5%
2027–28	2.0%
2028–29	2.5%
2029–30	3.0%

3.1.11 उपरोक्त खण्ड 3.1.10 में उल्लेखित ऊर्जा संग्रहण आबन्ध की गणना कुल अधिप्राप्त की गई विद्युत के प्रतिशत के संबंध में ऊर्जा के रूप में की जाएगी तथा इसे केवल उसी दशा में परिपूर्ण समझा जाएगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (ESS) में संग्रहीत कुल ऊर्जा का न्यूनतम 85% अंश नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से अधिप्राप्त किया गया हो।

3.1.12 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से भण्डारित ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा संग्रहण आबन्ध को कुल नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध को परिपूर्ण होने के भाग के रूप में माना जाएगा जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त खण्ड 3.1 में किया गया है।

3.1.13 किन्हीं नवीकरणीय उदीयमान वाणिज्यिक व्यवहारिक ऊर्जा संग्रहण प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने के साथ–साथ बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों (BESS) की लागत में कमी करने बाबत भी उद्वहन संग्रहण परियोजना क्षमता को क्रियाशील करने/ परिचालन पर विचार करते हुए ऊर्जा संग्रहण आबन्ध की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.3 के स्थान पर निम्न विनियम 3.3 स्थापित किया जाए :

"3.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में समस्त आबन्धित इकाईयों पर एक समान नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध लागू होगा।"

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.8 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात् 3.8(क), 3.8(ख) तथा 3.8(ग) निम्नानुसार जोड़े जाएं :

"3.8(क) कोई भी इकाई, भले ही वह आबन्धित हो या फिर न भी हो, एक या एक से अधिक निम्न विधियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, क्रय तथा खपत का चयन कर सकेगी :

क. **नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से स्वयं द्वारा उत्पादन :** इकाईयों द्वारा उनकी स्वयं की विद्युत खपत हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत संयन्त्रों की स्थापना हेतु कोई क्षमता सीमा नहीं होगी तथा ऐसे संयन्त्रों की स्थापना भारत में किसी भी स्थान पर की जा सकेगी तथा विद्युत का पारेषण निर्बाध (खुली) पहुंच के उपयोग द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन संयन्त्र की स्थापना स्वयं इकाई द्वारा या अथवा विकासक (डेवलपर) द्वारा की जा सकेगी जिसके साथ इकाई विद्युत क्रय अनुबन्ध का निष्पादन करती है।

ख. किसी विकासक से निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी (ट्रेडिंग लायसेंसी) के माध्यम से या फिर विद्युत विपणन केन्द्रों (पावर मार्केट्स) के माध्यम से।

व्याख्या :

(एक) विकासक से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन कम्पनी जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है।

(दो) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसे समुचित आयोग द्वारा विद्युत के क्रय द्वारा उसके पुनर्विक्रय (रीसेल) हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदान की गई है।

ग. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मांग द्वारा –

एक. कोई भी इकाई हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगी तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मांग की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की जाएगी तथा उपभोक्ता के समक्ष सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु पृथक–पृथक मांग प्रस्तुत करने का लचीला विकल्प उपलब्ध रहेगा ;

दो. उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय कर सकेगा, ऐसी परिस्थिति में उसे वचनबद्ध किया जा सकेगा तथा क्रियान्वयन की सुलभता हेतु ऐसा पच्चीस प्रतिशत की मात्रा में चरणबद्ध किया जाकर इसमें शत प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी ;

तीन. हरित ऊर्जा हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण आयोग द्वारा पृथक से किया जाएगा जिसके अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा की औसत समेकित विद्युत क्रय लागत, प्रति–राज्यानुदान प्रभार, यदि कोई हो, तथा सेवा प्रभार के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु युक्तिसंगत लागत को सम्मिलित किया जाएगा;

चार. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा हेतु कोई भी मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु की जा सकेगी ;

पांच. हरित ऊर्जा हेतु मात्रा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु पूर्व–निर्दिष्ट की जाएगी;

छः. वितरण अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की गई हरित ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अन्य हों, के अन्तर्गत आबन्धित इकाई के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध से अधिक मात्रा की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध अनुपालन के रूप में की जाएगी ; तथा

सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर प्रदाय की गई नवीकरणीय ऊर्जा का व्यवस्थापन (सेटलमेंट) मासिक आधार पर किया जाएगा।

घ. आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र से हरित ऊर्जा की खपत द्वारा

ङ. **हरित हायड्रोजन या हरित अमोनिया का क्रय** : आबन्धित इकाई द्वारा उसकी नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हरित हायड्रोजन या

हरित अमोनिया के क्रय द्वारा भी की जा सकती है तथा ऐसी हायड्रोजन या हरित अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्त्रोतों से एक मेगावाट ऑवर (MWh) विद्युत से उत्पादित हरित हायड्रोजन या हरित अमोनिया के बराबर या उसके गुणजों (multiples) पर विचार करते हुए की जाएगी तथा इस संबंध में मानदण्ड केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।

च. अन्य कोई स्त्रोत जैसा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं।

"3.8.(ख)हरित प्रमाण–पत्र (ग्रीन सर्टिफिकेट) – उपभोक्ताओं की नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध से अधिक हरित ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को वार्षिक आधार पर हरित प्रमाण–पत्र (ग्रीन सर्टिफिकेट) प्रदान करेगा।"

"3.8.(ग) मूल्यांकन (रेटिंग) – उभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई हरित ऊर्जा के प्रतिशत के आधार पर आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे उपभोक्ताओं के समक्ष मूल्यांकन की अवधारणा को प्रवर्तित कर सकेगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन :

4.1 मूल विनियमों के विनियम 10.1 के स्थान पर निम्न विनियम 10.1 स्थापित किया जाए :

"10.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से प्रति माह उत्पादित विद्युत ऊर्जा हेतु अधिकोषण (बैंकिंग) की सुविधा निम्न शर्तों पर प्रदान की जाएगी :

एक. अधिकोषण (बैंकिंग) की सुविधा न्यूनतम मासिक आधार पर अतिरिक्त लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु, यदि कोई हो, अधिकोषण द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाएगी तथा आयोग अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार प्रयोज्य प्रभारों का अवधारण करेगा।

दो. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञेय की गई अधिकोषित ऊर्जा की मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई विद्युत की कुल मासिक खपत का न्यूनतम तीस प्रतिशत होगी :

परन्तु यह कि अधिकोषित ऊर्जा के आकलन को अनुवर्ती महीनों में आगे बढ़ाने (कैरी फार्वर्ड) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा माह के दौरान अधिकोषित ऊर्जा के आकलन को उसी माह के दौरान समायोजित किया जाएगा।

'अधिकोषण (बैंकिंग)' से अभिप्रेत है ग्रिड में अन्तःक्षेपित (इन्जेक्टेड) की गई अधिशेष हरित ऊर्जा की मात्रा जिसे हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ आकलित (क्रेडिट) किया गया हो तथा इसे अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभारों के साथ आहरित किया जा सकता है।"

5. मूल विनियमों के विनियम 11.2 के खण्ड (घ) की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्ति में शब्दों "तथा अतिरिक्त अधिभार" को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, सचिव.